न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

मुकदमा नंबर 24/2018 निर्णय दिनांक 14.08.2023
ऑनलाईन नंबर 2018/00040

तुलछी पत्नी हीराराम पुत्री दुर्गाराम जाति जाट निवासी राजेडू तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

–प्रार्थिनी–

बनाम

नागरमल पुत्र भंवरी पुत्र मूलाराम जाति जाट निवासी राजेडू तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

–अप्रार्थी–

उपस्थितिः–

1. श्री बाबूलाल दर्जी अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री पूनमचन्द मारू अभिभाषक अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 आरटीए

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि खेत खसरा नम्बर 289 तादादी 3.73 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 296 तादादी 12.29 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 563 तादादी 15.60 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 571 तादादी 5.90 हैक्टेयर वाकेरोही राजेडू तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर स्व. दुर्गाराम के खातेदारी के खेत थे। स्व. दुर्गाराम के दो पुत्रियां भंवरी व तुलछी थी। भंवरी का स्वर्गवास हो गया, भंवरी के एक पुत्र नागरमल व दो पुत्रियां मीरा व हरू हुये। दुर्गाराम के स्वर्गवास के पश्चात् भंवरी व तुलछी के 1/2–1/2 हिस्सा हुआ। भंवरी की मृत्यु के पश्चात् उसका हिस्सा अप्रार्थी के नाम है। प्रार्थिनी व अप्रार्थी ने मौखिक रूप से आज से 25 वर्ष पूर्व खेत खसरा नम्बर 563 तादादी 15.60 हैक्टेयर का विभाजन किया जिसके अनुसार आधा हिस्सा दक्षिणी तरफ का प्रार्थिनी का व उतरी तरफ का आधा हिस्सा अप्रार्थी का हुआ, उसी अनुसार लगातार 25 वर्षों से इस खेत को कब्जा काश्त करते आ रहे हैं। प्रार्थिनी ने अपने दक्षिणी हिस्से में कुआ बना लिया जिसका खर्चा प्रार्थिनी का लगा और अपने 1/2 हिस्सा दक्षिण तरफ कुआ वाला काश्त करती आ रही है, बाकी खेत में अपने हिस्से का काश्त करते आ रहे हैं। वादगत खेतों का मिट्स एण्ड बाउण्ड के आधार पर अभी तक विभाजन नहीं हुआ है। वादगत खेत अभी तक रेवेन्यू रिकॉर्ड में अविभाजित चल रही है। प्रार्थिनी व अप्रार्थी की संयुक्त परिवार की स्थिति समाप्त हो चुकी है। वादगत खेतों को अभी तक हिस्सा पांति के अनुसार खसरा नम्बर 563 को छोड़कर अन्य सभी खसरों का अदल–बदल कर पक्षकारों द्वारा काश्त किया जाता रहा है। प्रार्थिनी अब अपना हिस्सा मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर करवाना चाहती है और अलग से रेवेन्यू रिकॉर्ड में खातेदारी दर्ज करवाना चाहती है, खातेदारी संयुक्त होने से प्रार्थिनी को कृषि ऋण आदि में परेशानियां आ रही है। यह है कि दिनांक 19.02.2018 को अप्रार्थी संख्या 1 को प्रार्थिनी ने कहा कि सहमति से रेवेन्यू रिकॉर्ड में खातेदारी के अनुसार वादगत खेतों की भूमि विभाजन करवा लेवे लेकिन अप्रार्थी ने ऐसा करने से इन्कार हो गया और अप्रार्थी ने प्रार्थिनी को वादगत भूमि काश्त नहीं करने देने व खेतों की भूमि को खुर्द–बुर्द करने की धमकियां दी। इसलिए प्रार्थिनी को यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। वादगत खसरान भूमि स्व. दुर्गाराम के खातेदारी के खेत थे। प्रार्थिनी स्व. दुर्गाराम पुत्री है इस कारण सुविधा संतुलन का सिद्धान्त प्रार्थिनी के पक्ष में है व वादगत खसरान भूमि में प्रार्थिनी का 1/2 हिस्सा पर कब्जा, काश्त व उपयोग–उपभोग से अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त भी प्रार्थिनी के पक्ष में है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Choudhary
Date: 2023.10.03 16:32:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

अतः प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि प्रार्थिनी के वादगत खेत खसरा नम्बर 563 तादादी 15.60 हैक्टेयर में दक्षिणी तरफ का 1/2 हिस्सा कुआ की तरफ का व खसरा नम्बर 289 तादादी 3.73 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 296 तादादी 12.29 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 571 तादादी 5.90 हैक्टेयर में प्रार्थिनी का 1/2 हिस्सा में प्रार्थिनी के कब्जा काश्त व उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की दखल–अन्दाजी नहीं करें, ना ही प्रार्थिनी के हिस्से को खुर्द–बुर्द करें, ना ही प्रार्थिनी के हिस्सा भूमि में प्रवेश करे, ना ही प्रार्थिनी की हिस्सा भूमि को किसी अजनबी व्यक्ति को विक्रय या हस्तान्तरण करें यानि अप्रार्थी ऐसा कोई कृत्य या अपकृत्य नहीं करें जिससे प्रार्थिनी के हितों के विपरीत हो।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस करतें हुए प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया एवं तादावा फैसला मौका एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाऐं रखें जाने का निवेदन किया गया।

अप्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस का खंडन करतें हुए निवेदन किया गया कि वादगत खेतों की खातेदारी में 1/2 हिस्सा प्रार्थिनी का विरासतन है तथा 1/2 हिस्सा मुझे विरासतन खातेदारी प्राप्त हुई है। वादगत खेतों का कभी भी मौखिक विभाजन नहीं हुआ है। वादगत खेतों को मैं व वादिनी बदल–बदल कर काश्त करतें आ रहे है। प्रार्थिनी ने जिस कुंए का हवाला दिया है, उस कुंआ में मेरा पैसा लगा है। चूंकि महिलाओं के लिये तत्समय बिजली कनेक्शन के बारे में योजना थी, इसलिये बिजली कनेक्शन सुगमता से प्राप्त हो, इसलिये प्रार्थिनी के नाम कुंआ कनेक्शन लिया गया था, कुआ का कनेक्शन प्रार्थिनी के नाम अवश्य है, जबकि उसमें पैसा मेरा ही लगा है । प्रार्थिनी का वाद गलत आधारों पर प्रस्तुत होनें व कानूनी खामियों से ग्रसित होनें के कारण चलने काबिल नहीं व खारिज किये जाने योग्य है।

उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत् 2073 ग्राम राजेडू खाता संख्या 169 के अनुसार प्रार्थीनी व अप्रार्थी वादग्रस्त खसरान के सहखातेदार (प्रत्येक का 1/2 हिस्सा) है। एवं सहखातेदारान के मध्य वादग्रस्त भूमि के मध्य विभाजन दावा जैरकार है। प्रार्थिनी द्वारा वादग्रस्त खसरान में प्रार्थिनी के हिस्से कब्जा काश्त में दखलंदाजी नहीं करनें एवं विक्रय हस्तान्तरण नहीं करनें बाबत निवेदन किया गया है।

अतः प्रार्थिनी के सहखातेदार होनें से प्रथम दृष्ट्या व सुविधा का संतुलन प्रार्थीनीके पक्ष में पाया जाता है एवं वादग्रस्त खसरान का किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय/हस्तान्तरण की स्थिति में प्रार्थिनी को अपूरर्णीय क्षति संभावित है,अतः चूंकि हस्तगत् प्रकरण में प्रश्नगत भूमि अविभाजित पैतृक कृषि भूमि है, अस्थाई निषेधाज्ञा का उद्देश्य मूलवाद की विषयवस्तु को सुरक्षित बनाऐं रखना है। अतः वादिनी के हिस्से तक का वादग्रस्त भूमि को सुरक्षित रखतें हुए अप्रार्थीगण तावाद वादग्रस्त भूमि का विक्रय/हस्तान्तरण नहीं करें। तादावा फैसला मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाऐं रखें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Choudhary
Date: 2023.10.03 12:32:57 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक 14.08.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

(मुकेश चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)